न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 121/2016/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
तारीख दायराः 7.9.2016
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. चन्द्रमोहन पुत्र कल्याण जाति काछी निवासी खेडली बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

...अपीलांट

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र काल्या जाति मीना निवासी ग्राम अरनिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।
3. रामरतन पुत्र छोटूलाल जाति मीना निवासी ग्राम अरनिया जिला कोटा।
4. रामप्रसाद पुत्र छोटू जाति मीना निवासी ग्राम अरनिया जिला कोटा।
5. प्यारीबाई पुत्री छोटू जाति मीना निवासी ग्राम अरनिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
6. गगांधर पुत्र कल्याण जाति काछी निवासी ग्राम खेडली बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक अपीलांट
श्री रघुवीर सिंह अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा

:::निर्णय:::

दिनांक 19.11.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 134/2013 प्रार्थनाा पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान बजरंगलाल बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा वगेरा मे केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वारा केम्प ख्यावदा मे पारित निर्णय दिनांक 12.6.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता कालू के खाते व कब्जे की आराजी ख0 नं0 283/375 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के सेटलमेंट विभाग ने मिलान क्षेत्रफल मे ख0 नं0 283/375 के स्थान 283/378 दर्शाते हुये रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के बजाय 15 बिस्वा रकबा ही दर्शाया जिसके बाद सेटलमेंट मे नवीन खसरा नम्बर 413 रकबा 0.76 है0 कायम किये गये। मिलान क्षेत्रफल मे पृष्ठ संख्या 13 व 16 के अनुसार ख0 नं0 283 मि. नम्बर दर्शाते हुये सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0 नं0 283/378 के नवीन खसरा नम्बर 413 बनाते हुये अप्रार्थी/रेस्पो0 क्रम 2 ता 4 के पिता छोटू पुत्र माधो व नारायणी बेवा माधो जाति मीणा निवासी अरनिया के खाते मे गलत तरीके से उक्त आराजी दर्ज कर दी जबकि छोटू व नारायणी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा। अतः उक्त त्रुटि

काबिल दुरूस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12.6.2015 से प्रार्थनाा पत्र स्वीकार कर सेटलमेंट द्वारा की गई त्रुटि का सुधार कर ख0 नं0 413 रकबा 0.76 है0 रामरतन रामप्रसाद पुत्र छोटू प्यारी बाई पुत्री छोटू जाति मीणा सा0 अरनिया के स्थान पर काजू पुत्र पांचू के वारिसान बजरंगा, गोपाल पुत्र कालू मु. पाना बेवा कालू जाति मीणा साकिन अरनिया के खाते दर्ज करने तथा पूर्व मे रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा जिसका क्षेत्रफल 0.92 है0 होता है मे कमी रकबा 0.16 है0 व ख0 नं0 412 मे से 0.08 व 592/412 मे से 0.08 से पूर्ती करने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय न्याय नियमो एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 592/412 की भूमि अपीलांट के खातेदारी की भूमि है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विद आउट ज्यूरिडिक्शन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। अपीलांट को सुना भी नही गया। अपीलांट की भूमि रेस्पो0 क्रम–1 के खाते दर्ज करने का आदेश पारित कर दिये जाने से निर्णय से अपीलार्थी प्रभावित हुआ है। प्रथम व द्वितीय सेटलमेंट की त्रुटि धारा 136 की कार्यवाही से नही की जा सकती। कोई वाद रेस्पो0 नं0 1 की विवादित भूमि के बारे मे नही है। रेस्पो0 क्रम–1 यह नही बता सका कि कितनी भूमि किसके खाते दर्ज हो रही है और उसका कोई रिकार्ड भी पेश नही किया केवल पटवारी हल्का से मिलीभगत करके सारी कार्यवाही कर कयास के आधार पर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। ख0 नं0 592/412 कीभूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है यह भूमि रेस्पो0 क्रम–1 की नही है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा का निर्णय दिनांक 12.6.2015 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ख0 नं0 592/412 की भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है यह भूमि रेस्पो0 क्रम–1 की नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया। अपीलांट को बिना सुने ही जेरअपील निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट की 0.08 भूमि कम कर दिये जाने से वह प्रभावित हुआ है। अतः प्रभावित पक्षकार होने से अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। बहस मे यह भी बताया कि पटवारी हल्का की मिलीभगत से निर्णय पारित किया है अगर गलती भी थी तो अपीलांट को सुना जाना चाहिये था। खातेदार को बिना सुने उसकी भूमि के संबध मे निर्णय पारित नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विद आउट ज्युरिडिक्शन व नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बह समे बताया कि गत सेटलमेंट मे रेस्पो0 का रकबा कम दर्ज किया गया है। रेस्पो0 क्रम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय सं0 2029–32 की जमाबंदी पेश कर अपीलांट व रेस्पों का रकबा बताया है । चन्द्रमोहन को पार्टी इसलिए नही बनाया क्योंकि मूल रूप से गंगाधर के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड मे है। अधीनस्थ न्यायालय मे गंगाधर पक्षकार रहा है तथा उसने प्रकरण मे पक्ष प्रस्तुत किया है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे मूल खातेदार पक्षकार रहा है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट ने खसरा नम्बर 592/412 की आराजी उसकी खातेदारी की आराजी होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 12.6.2015 से प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ के पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे उसे पक्षकार नही बनाया गया बिना सुने ही जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जिसकी जानकारी न्यायालय एसडीओ इटावा मे दिनांक 25.7.2016 को आने पर हुई। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर जेरअपील निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट प्रश्नगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही रहा है ना ही उसको सुना गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सं0 2072–2075 ग्राम खेडली बोरदा तहसील पीपल्दा के अवलोकन से विवादित आराजी ख0 नं0 592/412 रकबा 1.49 है0 चन्द्रमोहन पुत्र कल्याण जाति

काछी के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 12.6.2015 द्वारा विवादित उक्त आराजी ख0 नं0 592/412 मे से 0.08 है0 से पूर्ति करने का आदेश अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना व बिना सुनवाई के जेरअपील निर्णय पारित किया है ऐसी स्थिति मे जेरअपील निर्णय से अपीलांट व्यथित पक्षकार होना प्रकट होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया कर डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। अपील का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय अपीलांट को प्रकरण मे पक्षकार बनाये बिना व बिना सुनवाई के पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 12.6.2015 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। अतः प्रकरण मे तथ्यों का गुणावगुण पर विचार किये बिना ही पारित जैरअपील निर्णय 12.6.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा